सं0-37 / 2021 / 227(4) / 23-12-2021-699(वि0बैं0) / 14

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ: दिनांक 11 जून, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के अंतर्गत कंसल्टेंसी के 02 चालू कार्य पर धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-981बीजी / 7बी0-मांग / 2020-21, दिनांक 17.05.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के कंसल्टेंसी के 02 चालू कार्य हेतु रू0 550.00 लाख (रूपये पॉच करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नानुसार / निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृति का शासनादेश / दिनांक	स्वीकृत लागत	अब तक आवंटन / व्यय	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	8
1	विश्व बैंक खण्ड-1 लखनऊ	विश्व बैंक सहायतित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क परियोजना के क्रियान्वयन व रखरखाव के दौरान सुपरविजन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सल्टेंट की नियुक्ति।	1006 / 23-12-2014-699वि0बैं0 / 14, दि0 08-08-2014	6731.98	3453.97	**500.00**
2	विश्व बैंक खण्ड-1 लखनऊ	विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन इकाई में वित्तीय प्रबन्धन, पर्यावरणीय सामाजिक एवं इकोलाजिकल विशेषज्ञों की नियुक्ति, जेण्डर एसेसमेंट कार्य, उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण कार्य (प्रथम स्वतंत्र, क्वालिटी आडिट) तकनीकी एवं इन्टरनल आडिट (वित्तीय) कार्य हेतु कंसल्टेंट की नियुक्ति।	1737(1) / 23-12-2016, दिनांक 19.12.2016	374.70	127.50	**50.00**
			योग	**7106.68**	**3581.47**	**550.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/ पी0एल0ए0/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं विश्व बैंक के प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता (मु0-1)/मुख्य अभियन्ता, वाहय सहायतित परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी।

(7) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) उक्त कार्यों पर होने वाले व्यय की तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के अन्दर शासन एवं विश्व बैंक को भेजी जायेगी तथा उक्त कार्य के पूरा होने के उपरान्त लेखापरीक्षा कराकर विधिवत पूर्णत: प्रमाण पत्र शासन एवं विश्व बैंक को प्रेषित किया जाय।

(9) उपरोक्त उल्लिखित कार्यों के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेगी तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-05-अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कें- 337- सड़क निर्माण कार्य-97-बाह्य सहायतित परियोजनायें-9701-विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के डी0पी0आर0 हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- ये आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव,

संख्या-37/2021/227(5)/23-12-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री/मा0 लोक निर्माण मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

2- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।

3- महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

4- महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (परीक्षा-लेखा), उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6- मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

7- मुख्य अभियन्त, वाहय सहायतित परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

8- वित्त नियन्त्रक,लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8

11- लोक निर्माण अनु0-10

12- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, विकास भवन, जनपथ, लखनऊ।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।